



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक:-एफ.41()15वीं/तृतीय सत्र/परावि/2019/ 611

जयपुर, दिनांक 27 नवम्बर, 2019

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त ।
2. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त ।
3. विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त ।

विषय:- 15 वीं विधानसभा के तृतीय सत्र बाबत।

15वीं विधानसभा का तृतीय सत्र दिनांक 28.11.2019 से प्रारंभ हो रहा है। आपको निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा सचिवालय से प्रश्न/प्रस्ताव प्राप्त होने पर तुरन्त उत्तर/तथ्यात्मक टिप्पणी तथ्यों का पूर्ण परीक्षण कर स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् इस विभाग की संबंधित शाखा के ई-मेल के माध्यम से ही भिजवायें।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा सत्र काल के दौरान निम्न हस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। किसी कारण से यदि आप दौरे पर जाते हैं तो इस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से किसी अधिकारी को प्राधिकृत करके जावें। आपके दौरे पर होने के कारण यदि आप द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मुख्यालय पर नहीं मिलते हैं अथवा प्रश्न/प्रस्ताव के बारे में अनभिज्ञता प्रकट करते हैं अथवा कार्य करने में असमर्थता प्रकट करते हैं तो उस स्थिति में जिम्मेदारी आपकी होगी। सही प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने तथा विलम्ब से प्राप्त होने की जवाबदेही भी आपकी होगी।

आप तत्काल अपने कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित करें जो कि प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक कार्य करेगा। आपके द्वारा गठित कन्ट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को निर्देश देंगे कि वे प्रतिदिन विभागीय ई-मेल भी चैक करते रहे तथा विधानसभा की वेबसाईड <http://rajassembly.nic.in> पर विभागीय प्रश्नों में से आपसे संबंधित प्रश्न की प्रति प्राप्त कर उत्तर बनाने की कार्यवाही शीघ्र आरम्भ करावे।

विभाग मुख्यालय में श्री गौरव चतुर्वेदी, संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1) विधानसभा प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी हैं जिनके मोबाईल नम्बर 9414066766 हैं।

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज० जयपुर
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
- 4- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राज० जयपुर ।
- 5- निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राज. जयपुर।
- 6- आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग, जयपुर।
- 7- सहायक सचिव, प्रशासनिक सुधार (क-2) विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
- 8- समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।
- 9- ए.सी.पी. कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त शासन सचिव (प्र.1)